न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :- रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0- 30 / 2017

नारायणराम पुत्र शेराराम जात जाट निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर

प्रार्थी......

-:बनाम:-

1. वासफ अली पुत्र पीरू खां मुसलमान नवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर
2. धन्ने खां पुत्र जोरे खां जाति ढोली निवासी पनपालसर तहसील बीकानेर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर

....अप्रार्थीगण ...

अपील अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति अभिभाशक:-

1. श्री सत्यपाल सहू प्रार्थी।
2. श्री रमेश जोशी., अभिभाषक अप्रार्थीगण सं.1

-:निर्णय:-

दिनांक-20 /03 / 2020

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 क के अधीन प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में प्रकरण के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पनपालसर के खसरा न. 3 तादादी 7.6400 हैक्टर कृषि भूमि स्थित हैं । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम वके रोही पनपालसर तहसीलव बीकानेर के ख.न. 2 तादादी 4. 3700 हैक्टर, ख.न. 46 तादादी 1.6600 हैक्टर, ख.न.49 तादादी 0.1700 हैक्टर ,ख.न. 477 तादादी 0.1000 हैक्टर, ख.न. 478 में तादादी 2.8200 हैक्टर, ख.न.479 तादादी 2. 8200 हैक्टर, ख.न. 482 तादादी 0.1500 हैक्टर कुल किता 7 कुल तादादी 12.0900 हैक्टर खातेदारी भूमि स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण कृषि वाके रोही पनपालसार के खसरा न 2 व 3 में आपस में खेत पडौसी हे एवं खसरा न. 2 में पेमासर से पनपालसर का कटाणी रास्ता मौके पर चालू है, और राजस्व रिकार्ड में दर्ज शुदा है। प्राथ्री के खेत खसरा न. 3 तादादी 7.6400 हैक्टर में आने-जाने हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हाने से फसल काश्त के समय परेशानियों का सामना करना पडता है एव वरवक्त निनाण, फसल ढुलाई एवं सूड वगैरहा के समय खेत में आने-जाने हेतु दिक्कते रहती है। उक्त कृषि भूमि वाके रोही पनपालसर की खसरा न. 2 व 3 ग्राम पनपालसर एवं पेमासर की सीव पर स्थित है। प्रार्थी पेमासर से पनपालसर की सींव पर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

ग्राम पेमासर से पनपालसर के कटानी रास्ते से खसरा न. 2 की पश्चिम सींव पर खसरा न. 3 हेतु 2 गठ्ठा चौडाई का रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी , अप्रार्थी स. 1 व 2 जो उक्त रास्ते में आने जाने वाली भूमि के बदले मे सीव जोड स्थित खेत में भूमि के बदले भूमि या डी.एल.सी. दर से राशि अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुतत कर निवेदन है कि वाके रोही पनपालसर तहसील बीकानेर की खसरा न. 2 में स्थित पेमासर से पनपालसर कटाणी रास्ते से खसरा न. 2 की पश्चिमी सींव पर 2 गठ्ठा चौडाई का रास्ता स्वीकृत फरमाया जाकर रास्ते के बदले अप्रार्थी सं. 1 व 2 के चाहे अनुसार भूमि के बदले भूमि या डी.एल.सी. से राशि दिलवायी जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जिस पर अप्रार्थी सं.1 व 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 31.1.2020 को तहसीलदार बीकानेर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी । जिसके अनुसार ग्राम पनपालसर की रोही खेत खसरा नम्बर 2 रकबा 4.37 हैक्टर ,धन्ने खां पुत्र जोरे खां हिस्सा 593/1209 जाति ढोली मुसलमान साकिन देह तथा वासफ अली पुत्र पीरू खां हिस्सा 616/1209 जाति मुसलमान साकिन रिडमलसर पुरोहितान खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है एवं खेत खसरा न. 3 रकब 7.64 हैक्टेयर नारायणराम पुत्र शेराराम जाट साकिन रिडमलसर पुरोहितान खातेदार रहन एसबीआई शाखा उदासर मुर्तहीन ना.सा. 328 दर्ज रिकॉर्ड है। मौका स्थिति अनुसार ख्सर न.2 के रकबा में से ग्राम पेमासर से पनपालसर बिना कटाण का रास्ता चलता है। खसरा न. 2 की पश्चिमी सीमा से लगभग 10–15 मीटर की दूरी पर खसरा न. 03 की सीमा लगती है जो कि मौके पर बन्द है तथा खसरा नम्बर 3 के दूसरा कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। अतः निकटतम खसरा स.2 रकबा 4.37 हैक्टेयर की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ होकर खसरा नम्बर 3 रकबा 7.64 हैक्टर में आना जाना हो सकता है तथा प्रार्थी एवं उपस्थित मौतबिरानों ने खसरा न.3 में खसरा न.2 से ही आने जाने का रास्ता बताया। तहसील से रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस सुनी गयी। बहस में प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र को दोहराया व रास्ता की आवश्यकता अत्यधिक बता मंजूरी का आग्रह किया।

हमने प्रार्थना पत्र, तहसीलदार बीकानेर की रिपोर्ट व बहस पर मनन किया। यह तथ्य स्वीकार है कि प्रार्थी के पास अपनी उक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अन्य किसी वैकल्पिक रास्ते का पूर्णतया

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

अभाव है। प्रार्थी को अपने खेत जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रार्थी अपने खेत में आ जा सके। इसलिए रास्ता चाहने का प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत उपयुक्त है व रास्ता प्राप्त करने की प्रार्थी सभी शर्ते पुर्ण करता है। इसलिए तहसील बीकानेर के ग्राम पनपालसर के खसरा स.2 रकबा 4.37 हैक्टेयर में पश्चिमी सीमा के साथ–साथ होकर 16 फुट चौड़ाई का खसरा नम्बर 3 रकबा 7.64 हैक्टर हेतु रास्ता मंजूर किया जाता है। यह रास्ता सार्वजनिक होगा तथा सभी के लिए खुला रहेगा। अप्रार्थीगण इसके बदले इस रास्ते मे आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दुगनी राशि तहसील कार्यालय बीकानेर मे जमा करायेगा। तहसीलदार बीकानेर यह राशि अप्रार्थी को भुगतान करेगा। तहसीलदार बीकानेर राशि जमा होने पर राजस्व रिकार्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप मे ईन्द्राज करेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालानार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रिया केजरीवाल)
आईएएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.04.20 14:41:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: